न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/150/2015 वाद दायर दिनांक 16.06.2015

उनवान

1. मु0 पारसबाई पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी शम्भपूरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. गेहरीलाल पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हिराजी का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भगवानलाल पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हिराजी का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मु0 पारसबाई पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी हाल पत्नी किशनलाल जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
4. मु0 भगवानीबाई पुत्री रामलाल जाति जाट आयु वयस्क हाल पत्नी प्रेम जाट निवासी गुन्दलीखेड़ा तह0 भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
5. सोसर पुत्री देव जाट आयु वयस्क हाल निवासी पत्नी मिटठूलाल जाट निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. रतनी पुत्री नानुराम जाट आयु वयस्क हाल निवासी पत्नी कमलेश जाट निवासी शम्भुपुरा बुरीया का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मु0 धापू बाई विधवा जीतू जाट निवासी शम्भुपुरा बुरीया का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति:– अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट –वादीया
एकतरफा –प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांक: 22.09.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:51 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि यह कि [illegible] के ग्राम शम्भुरा पटवार हल्का रूपाखेडी

तहसील कपासन के हल्के बैरूनी मे हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 20 मे दर्ज आराजी संख्या 144 रकबा 0.10 है0 लगानी 0.30 पैसा, आराजी सं0 145 रकबा 0.19 है0 लगानी 5–32 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 कुल लगानी 5–62 पैसा स्थित है, उक्त आराजीयात मुझ वादीया का 1/2 हक हिस्सा निहित है व मुझ वादीया के संयुक्त खातेदारी अधिकार कब्जे की होकर लगान संयुक्त ही जमा कराते आ रहे है।

यह कि वाद कॉलम एक मे वर्णित आराजीयात का मुक्कमल बंटवाडा नहीं हुआ हक आश्रय से जोते बोते है मुक्कमल बंटवाडा नही होने से वादीया एव प्रतिवादीगण के बीच आराजीयात जोने बोने , लगान जमा कराने, हिस्सा पांती लेने देने बाबत विवाद है जिससे वाद कॉलम एक मे वर्णित आराजीयात का मिट्स एवं बाण्डस पर वादीया बंटवाडा किये जाने की प्रार्थना करती है।

यह कि वाद उल्लेखित कालम संख्या एक मे वर्णित आराजीयात मे वादीया का 1/2 हक हिस्सा वादीया के खाते अलग जमाबन्दी व अलग लगानबन्दी किये जाने की घोषणा की डिक्री फरमाई जावे।

यह कि प्रतिवादगण ने वाद उल्लेखित कॉलम संख्या एक सामील खाते की आराजीयात का लगान जमा कराने , जोने बोने बाबत विवाद दिनांक 10.03.2015 को किया जिस पर नकले ली जिससे उक्त दिनांक 10.03.2015 से बिनाय वाद पैदा हुआ निरन्तर जारी है।

अन्त में वादीया ने प्रार्थना कि यह कि पक्ष वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण के बटवाडा आराजीयात डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कॉलम वर्णित आराजीयात मे वादीया का मिट्स एव बाण्ड पर 1/2 हक हिस्से अनुसार बंदवाडा मय लगान बन्दी व जमाबन्दी अलग किये जाना सादिर फरमावे। यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा मेहनताना वकील व अन्य मुफिद दाद हो दिलाई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 के तहत केम्प रूपाखेडी में दिनांक 08.06.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.05.2018 को प्रस्तुत की गई। अतः आज दिनांक 22.09.2022 को वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा शम्भुरा पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी मे हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 20 मे दर्ज आराजी संख्या 144 रकबा 0.10 है0, आराजी सं0 145 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.05.2018 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1 रोहरीलाल, भगवानलाल, पारसबाई, भगवानीबाई पिता रामलाल जाति जाट सा0 हीराजी का खेडा 1/3, सोसर पिता देवजी 1/3, रतनी पत्नि नानूराम जाति जाट सा0 रेण का खेडा 1/6, मंजुदेवी पत्नि शंभुलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार 1/6

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म	लगान
1	144 मी0	0.06	बीड़ 1	0.18
2	145 मी0	0.08	चाही 2	2.24
योग	**कुल किता–2**	**0.14**		**2.42**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:51 IST
Reason: SelfAttested

2. पारस पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार,

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म	लगान
1	144/1	0.04	बीड़ 1	0.12
2	145/1	0.11	चाही 2	3.08
योग	**कुल किता– 2**	**0.15**		**3.20**

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:51 IST
Reason: SelfAttested